सोना चांदी की तिजारत से संबंधित मसाइल के बारे में प्रस्ताव

आज दिनांक 6 मार्च 2017 ई0 को सोना चांदी की तिजारत से संबंधित कुछ मसाइल के सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने वाली कमेटी ने निम्न लिखित प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

1- करंसी से सोना चांदी खरीदा जाए तो यह बैअ़ सर्फ़ नहीं है इस लिए बदले में से किसी एक का उधार होना सही है।

2- सोने चांदी के निर्धारित रेट से.ज्यादा या कम क़ीमत पर क्रय विक्रय सही है।

3- सोने चांदी के ज़ेवर बनाने में निकलने वाले कणों को मज़दूरी बनाना सही है जबकि मात्रा में ऐसी बातें न हों जो विवाद का कारण बने, अलबत्ता यह सही है कि अलग से मज़दूरी तै की जाए।

4- सोने चांदी के पुराने ज़ेवरों का नए ज़ेवरों से घटत बढ के साथ अदला बदला जायज़ नहीं है यदि ऐसा करना ही है तो पुराने को क़ीमत अदा करके बेच दे और फिर उस क़ीमत से नया ज़ेवर ख़रीदे।

5- कम्योडिटेज़ एक्सचेंज में सोने चांदी की इस प्रकार क्रय विक्रय सही नहीं है कि बिके हुए माल और क़ीमत पर क़ब्ज़ा ही न हो और केवल ख़रीदारी और अदाएगी के समय रेट में जो कमी.ज्यादती होती है उसका लेन देन कर लिया जाए।

6- महंगा बेचने की नीयत से सोने को रोके रखना एहतिकार नहीं कहलाएगा, अलबत्ता इसको रोक कर रखने की सूरत में दूसरी आवश्यक चीज़ों की क़ीमतें प्रभावित होती हों तो इस से बचना चाहिए।

7- स्मगलिंग अवैध कार्य है अतः इस तरीक़े पर सोने का क्रय विक्रय करने से बचना चाहिए लेकिन इस रास्ते से किसी ने सोना ख़रीद लिया है तो वह उसका मालिक है।

8- प्लाटिनम सोना नहीं है अतः उक़द और ज़कात आदि में इस पर सोने के आदेश लागू नहीं होंगे।

☆☆☆

नोटः 26 वां फ़िक्ही सेमिनार (उज्जैन, मध्य प्रदेश) दिनांक 4 से 6 मार्च 2017 ई0